



डेटा स्वामित्व के लिये सरकार का प्रयास

प्रलिस के लिये:

[आर्टफिशियल इंटेलिजेंस \(AI\)](#), [डजिटल इंडिया बलि](#), अज्ञात डेटा, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023

मेन्स के लिये:

डेटा गवर्नेंस और गोपनीयता का वनियमन, डेटा गोपनीयता एवं डेटा सुरक्षा से संबंधित मुद्दे

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार कथित तौर पर [फेसबुक](#), [गूगल](#) और [अमेज़न](#) जैसे प्रमुख तकनीकी दगिगजों को सरकार समर्थित डेटाबेस के लिये अज्ञात व्यक्तिगत डेटा साझा करने का नरिदेश देने पर वचिर कर रही है।

- आगामी [डजिटल इंडिया बलि, 2023](#) में उल्लिखित यह संभावित विकास डेटा स्वामित्व पर केंद्रित है और [कृत्रिम बुद्धिमत्ता \(AI\)](#) मॉडल के परदृश्य को प्रभावित कर सकता है।

अज्ञात डेटा क्या है?

- यह एक ऐसा डेटा सेट है जिसमें व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी नहीं होती है। इसमें कसि वशिष जनसांख्यिकी का समग्र स्वास्थ्य डेटा, कसि कषेत्र का मौसम और जलवायु डेटा, ट्रैफिक डेटा, अन्य जैसी समग्र जानकारी शामिल हो सकती है।
 - यह व्यक्तिगत डेटा से अलग है, यह वह डेटा है जो कसि पहचाने गए या पहचाने जाने योग्य व्यक्ति से संबंधित है, जैसे- ईमेल, बायोमेट्रिक्स इत्यादि।
- अज्ञात डेटा का उपयोग व्यक्तियों की गोपनीयता से समझौता कथि बना, वभिन्न उद्देश्यों के लिये कथि जा सकता है, जैसे सांख्यिकीय विश्लेषण, बाज़ार अनुसंधान, उत्पाद विकास आदि।

सरकार बड़े तकनीकी डेटा तक पहुँच पर वचिर क्यों कर रही है?

- यह कदम आगामी [डजिटल इंडिया वधियक](#) का हसिा है, जिसमें बड़ी तकनीकी कंपनियों को उनके पास मौजूद सभी गैर-व्यक्तिगत डेटा को सरकार समर्थित डेटाबेस में जमा करने के लिये बाध्य करने का प्रावधान है, जसि भारत डेटासेट प्लेटफॉर्म के रूप में जाना जाता है।
 - इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा गठित कार्य समूह के अनुसार, भारत डेटासेट प्लेटफॉर्म को सरकार, नजी कंपनियों, [सुकषम, लघु एवं मध्यम उद्यम \(Micro, Small and Medium Enterprises- MSMEs\)](#) कषेत्र, शकिषावर्दों तथा अन्य सहित वभिन्न हतिधारकों के लिये एक एकीकृत राष्ट्रीय डेटा साझा और वनियमि मंच के रूप में परकिल्पति कथि गया है।
 - भारत डेटासेट प्लेटफॉर्म द्वारा रखे गए गैर-व्यक्तिगत डेटा का मुद्रीकरण कथि जा सकता है, जो आर्थिक लाभ में महत्त्वपूर्ण भूमिका नभिएगा।
- इससे पहले मई 2022 में सरकार ने [राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीति मसौदा](#) जारी कथि था, जसिके तहत उसने केवल नजी कंपनियों को स्टार्टअप और भारतीय शोधकर्त्ताओं के साथ गैर-व्यक्तिगत डेटा साझा करने के लिये "प्रोत्साहित" कथि था।
- सरकार का तर्क है कि [बड़ी तकनीकी कंपनियों](#) को भारतीयों के गैर-व्यक्तिगत डेटा के आधार पर एल्गोरदिम बनाने सेफायदा हुआ है और उन्हें इस पर वशिष स्वामित्व का दावा नहीं करना चाहिये।

डजिटल इंडिया बलि की मुख्य बातें क्या हैं?

- डजिटल इंडिया बलि, 2023 (यदि पारति हो जाता है, तो यह [सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000](#) के उत्तराधिकारी के रूप में कार्य करेगा)

व्यापक कानूनी ढाँचे का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें विभिन्न वधायी उपाय शामिल हैं।

- यह एक व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा है जिसमें [डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023](#), [भारतीय दूरसंचार वधियक प्रस्ताव, 2022](#) और गैर-व्यक्तिगत डेटा के वनियमन को संबोधित करने वाली नीति जैसे उपाय शामिल हैं।
- इस वधियक का उद्देश्य डेटा-संचालित नवाचार और विकास के लिये एक मज़बूत आधार प्रदान करके **भारत में AI पारिस्थितिकी तंत्र** को बढ़ावा देना है।
- इस वधियक को भारत के डिजिटल परदृश्य की व्यापक नगिरानी सुनिश्चित करने के साथ ही [साइबर अपराध](#), [डेटा सुरक्षा](#), [डीपफेक](#), [इंटरनेट के वविधि प्लेटफॉर्मस के बीच परतसिपर्द्धा](#), ऑनलाइन सुरक्षा तथा [कृत्रमि बुद्धमिता \(AI\) के नकारात्मक प्रभाव](#) जैसी समकालीन चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये डिज़ाइन किया गया है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. भारत के संवधान के कसि अनुच्छेद के तहत 'नजिता का अधकार' संरक्षति है? (2021)

- (a) अनुच्छेद 15
- (b) अनुच्छेद 19
- (c) अनुच्छेद 21
- (d) अनुच्छेद 29

उत्तर: C

प्रश्न. नजिता के अधकार को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधकार के आंतरकि भाग के रूप में संरक्षति किया जाता है। भारत के संवधान में नमिनलखिति में से कसिसे उपर्युक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थति होता है? (2018)

- (a) अनुच्छेद 14 और संवधान के 42वें संशोधन के तहत परावधान।
- (b) अनुच्छेद 17 और भाग IV में राज्य नीति के नदिशक सदिधांत।
- (c) अनुच्छेद 21 और भाग III में गारंटीकृत स्वतंत्रता।
- (d) अनुच्छेद 24 और संवधान के 44वें संशोधन के तहत परावधान।

उत्तर: (c)

??????????:

प्रश्न. नजिता के अधकार पर सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम नरिणय के आलोक में मौलकि अधकारों के वसितार का परीक्षण कीजिये। (2017)